THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

According to the reports received from the Government of Bihar, the following are the number of crimes committed on members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bihar from August 1979 to January 1980:

	Scheduled Castes	*Scheduled Tribes*
1. Murder	18	4
2. Violence resulting in grievous hurt	87	6
3. Rape	37	12
4. Arson	143	9
5 Other IPC cases	653	59

Some of these cases which took place during the period from August 1979 are listed below:

(1) Alleged atrocities including Killing of Scheduled Castes by the musclemen of the Mahant of Bodh Gaya against the background of alleged illegal occupation of large extent of farm lands by the Mahant and his men.

(2) Alleged murder of a Scheduled Caste leader and harassment of others in village Chakwal, Police Station Barauni, Distric Begusarai.

(3) Dispossession of land and indiscriminate firing by caste Hindus on members of Scheduled Castes in Village Sari, Police Station Warish Nagar, District Samastipur.

(4) Alleged atrocities on Scheduled Castes in the villages of Districts of Begusarai and Monghyr in connivance with the police and alleged murder of Shri Tribani Paswan by the police.

(5) Atrocities committed on members of other weaker sections in Parasbigha.

(6) Atrocities on members of Scheduled Castes in Village Pipra.

(7) Setting fire to the house of one Shri Bilat Paswan in village Manichouk District Sitamarhi, resulting in the death of Shri Paswan's wife and daughter.

(8) Rape of a minor Scheduled Caste girl in village Bhadri in police stations Silao.

The above cases are being pursued with the Government of Bihar.

(b) Government of India feel the deepest concern about these atrocities and are anxious to put an end to them. I have written specially to the Chief Ministers, Governors and Lt. Governors of States and Union Territories, where crimes against Scheduled Castes have been occurring, to convey our concern and anxiety. Based on an analysis of the common socio-economic factors in which many of these crimes are rooted, comprehensive guidelines of precautionary and preventive, punitive, and rehabilitative measures to be taken for effectively dealing with the crimes against members of Scheduled Castes, have been communicated to the State Government with this letter.

पिपरा में हुई घटना

*26. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 में बिहार राज्य में पिपरा गांव के 14 हरिजनों को मार डालने की भयानक घटना किस कारणों से घटी;

(ख) इस जघन्य अपराध को करने वाले दोषी व्यक्तियों में से अब तक कितने गिरफ्तार किए जा चुके हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ऐसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त

रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 1980 में पिपरा में हुई भयानक घटना के पीछे कारणों के बारे में एक निश्चित परिणाम पर अभी पहुंचना है ।

(ख) कुल 77 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । इस मामले में 62 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पेश किया गया है ।

(ग) बिहार सरकार ने ऐसी घृणित घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(*i*) पिपरा गांव में सशस्त्र बल के साथ एक मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(*ii*) कलयाणचक, पारथू, सभाजपुर, उपरोल, भबिल और अलाउद्दीन चक गांवों में स्थिर पुलिस टुकडियां तैनात की गई थी ।

(*iii*) बाकी इलाके में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के साथ चलते-फिरते पुलिस दल प्रतिनियुक्त किये गये थे ।

(*iv*) इलाके में बड़ी संख्या में हथियारों के लाइसेन्सों का रद्द करने का एक प्रस्ताव जिला प्रशासन के विचाराधीन है ।

2. उपरोक्त कार्रवाईयों के अतिरिक्त, बिहार सरकार ने राज्य में विधि और व्यवस्था को सामान्य रूप से कड़ा करने के लिए तुरन्त विचार करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये हैं ।

(क) दंगाग्रस्थ क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस रखना और जहां आवश्यक हो पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन इलाके के निवासियों के खर्च पर प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करना ।

(ख) सामुहिक जुर्माना अथवा सामुहिक कर तथा गांवों में विशेषकर हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए मुखियों तथा अन्य को उत्तरदायी बनाने के लिए एक अध्यादेश उद्घोषित करना ।

(ग) इस प्रकार के आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पटना न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय निर्धारित करना ।

(घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, न्यूनतम मंजूरी अधिनियम तथा अपराध नियंत्रण अध्यादेश को सख्ती से लागू करना ।

(ङ) आवश्यकता पडने पर अग्नेय-अस्त्र के लीइसेंस जब्त और रद्द करना तथा अवैध हथियारों और उनके बनाने वालों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाना ।

3. मैंने विशेष रूप से, मुख्य मंत्रियों, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपालों तथा उप-राज्यपाल जहां अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं इन अत्याचारों के बारे में भारत सरकार की गहरी चिन्ता उनसे व्यक्त करने और उन अत्याचारों को खत्म करने के लिए केन्द्रीय सरकार की उत्सुकता के बारे में लिखा है । अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से कारगर ढग से निपटने के लिए, उन सामान्य सामाजिक आर्थिक तत्वों जो अधिकाशतः इन अपराधों की जड़ हैं, के विश्लेषण पर आधारित, व्यापक एहतियाती तथा निरोधक दंडात्मक तथा पुनर्वास उपायों के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त इस पत्र के साथ राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

I.A.F. Plane Crash in Agra on 23-2-80

*27. SHRI D. P. JADEJA:
SHRI AHMED M. PATEL:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any enquiry has been conducted into the air crash of I.A.F. Plane on 23rd February, 1980 in which 46 Defence men were killed in Agra;

(b) if so, what are the findings of the Enquiry Commission; and

(c) the total amount of compensation paid to the next of kin of the dead and injured persons?